(50) इन निर्देशों को प्रथम तुतेक-हरियाणा सार्वजनिक प्रथम सेवा आयोग पर आक्षेप नहीं माना जाएगा।

(51) इन निर्देशों की एक प्रति तुरंत अध्यक्ष, पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला को उचित निर्देशों और अनुपालन के लिए प्रदान की जाएगी।

माननीय एस. एस. ग्रेवाल और एम. एल. कौल, न्यायाधीश

एसएमटी। क्यूडी देवी,-याचिकाकर्ता।

बनाम

राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा और अन्य,-उत्तरदाता।

1994 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 18057।

20दिसंबर, 1994।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994-एक *उम्मीदवार के नामांकन पत्र-नामांकन पत्रों की अस्वीकृति या स्वीकृति अधिनियम के तहत निर्दिष्ट आधार नहीं है-चुनाव याचिका की क्षमता।*

यह मात्र तथ्य कि न तो अधिनियम के तहत और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अवैध अस्वीकृति या नामांकन पत्रों की अवैध स्वीकृति या निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति से पहले मतदाता सूची तैयार करने में की गई अवैधता या अनियमितताओं के खिलाफ कोई उपाय प्रदान किया गया है, हमारे विचार में चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद के चरण में चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए प्रभावित पक्ष को चुनाव याचिका में ऐसी सभी आपत्तियों को उठाने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा।बल्कि इस तरह की व्याख्या जो हमने ली है, वह पूरी चुनाव प्रक्रिया को तेजी से और बिना

किसी अनुचित देरी के पूरा करने के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप है और निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया को अनुसूची के अनुसार आयोजित करने में सहायक होगी।चुनाव प्रक्रिया में की गई गलतियों, अनियमितताओं या अवैधताओं को निश्चित रूप से बाद के चरण में ठीक किया जा सकता है जब प्रभावित पक्ष सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करता है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के वकील संजीव श्योराण के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता *एच. एस. हुड्डा।*

एच. एल. सिब्बल, महाधिवक्ता (अरुण नेहरा अतिरिक्त महाधिवक्ता)।ए. जी. हरियाणा उनके साथ) नंबर 1 से 4 के लिए।

सी. बी. कौशिक, प्रतिवादी के लिए नंबर 5 और *6 के लिए अधिवक्ता*

निर्णय

एस. *एस. ग्रेवाल न्यायाधीश*

(1) यह आदेश वर्तमान रिट याचिका के साथ-साथ 1994 की 17757,1994 की 17775, 1994 की 18144,1994 की 17831,1994 की 17871,1994 की 17880,1994 की 18045,1994 की 18060,1994 की 18064 और 1994 की 18100 की सिविल रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, क्योंकि इन सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) हमने इन सभी याचिकाओं में निहित कानून के सवाल का फैसला आदेश के लिए इस याचिका से तथ्य लिए हैं।इस याचिका में किए गए कथनों के अनुसार।हरियाणा राज्य ने हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया है।चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों को 1 दिसंबर, 1994 से 3 दिसंबर, 1994 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करना आवश्यक था।इसके बाद

निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच 5 दिसंबर, 1994 को की जानी थी और उम्मीदवारों को 6 दिसंबर, 1994 तक चुनाव से हटने की अनुमति दी गई थी।याचिकाकर्ता और तीन अन्य उम्मीदवारों ने भी ग्राम कांगथल के ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र जमा किया था।तहसीलदार, गुहला की रिपोर्ट के आधार पर खंड विकास और पंचायत अधिकारी-प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मुल्क राज (याचिकाकर्ता के पति) के पास खसरा संख्या 136 वाली पंचायत भूमि का अनधिकृत कब्जा है।इसके बाद याचिकाकर्ता ने 9 दिसंबर, 1994 को उपायुक्त, कैथल को इस आधार पर एक आवेदन दिया कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र अवैध रूप से और दुर्भावनापूर्ण इरादे से खारिज कर दिए गए थे।यह दलील दी गई थी कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास ग्राम *पंचायत का* अनधिकृत कब्जा नहीं था।इसके अलावा यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता अलग से चुहला कर का भुगतान कर रहा था।यह आगे अनुरोध किया गया कि वर्ष 1988-89 के लिए जमाबंदी में प्रविष्टि के अनुसार खसरा संख्या 136 में भूमि का स्वामित्व पंचायत देह के रूप में दिखाया गया है, जबकि खेती कॉलम के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यह सामान्य उद्देश्य (मकबुजा रफैन-आम) के कब्जे में है, और कॉलम संख्या 8 में उक्त खसरा संख्या को गैर गोरा देह के रूप में दर्ज किया गया है। इसके बाद यह दलील दी गई कि वर्ष 1994 के लिए नवीनतम खसरा गिरदावरी में भी न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को भूमि के अनधिकृत कब्जे में दिखाया गया है और उनके नामांकन पत्र राजनीतिक दबाव के आधार पर खारिज कर दिए गए थे। बिल्लू राम ex-M.L.A. और उनके भाई की पत्नी ने भी गाँव कंगथली के ग्राम पंचायत के सरपंच के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था।

(3) इसी प्रकार 1994 के सिविल रीट याचिका न. 18100 में संदर्भ: मंजीत *सिंह* बनाम राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा और अन्य, 1994 का सिविल रीट याचिका 17775 पुनःःसकूली बाई *आदि* बनाम एसडीओ। (ग) फतेहाबाद और दूसरा, 1994 का सिविल रीट याचिका सं. *18045,* ओंकार माई बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1994 का सिविल रीट याचिका . सं. *17871,* ज्ञान चंद बनाम एस. डी. ओ. (ग) फतेहाबाद, 1994 का सिविल रीट याचिका सं. 17757, दलीप और एक अन्य बनाम उपायुक्त, रोहतक और अन्य 1994 का सिविल रीट याचिका . 17831, साहब दीन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और 1994 का सिविल रीट याचिका सं. 18144 संदर्भ: मंगल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, व्यक्तिगत याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां उनके नामांकन पत्रों की अवैध अस्वीकृति के संबंध में हैं, जबकि 1991 के सी. डब्ल्यू. पी. *संख्या* 18060 में पुनःःहर्मत और अन्य बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और एक अन्य और 1994*.* सिविल रीट याचिका सं. 18068 पुनःःधन्नो देवी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आपत्ति वर्तमान चुनाव के लिए तैयार और अधिसूचित मतदाता सूचियों को रद्द करने के संबंध में है और 1994 का सिविल रीट याचिका संख्या 17880 नामांकन पत्रों की कथित अवैध स्वीकृति से संबंधित है।

(4) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्ति जताई गई थी कि धिल्लाराम की पत्नी बस्सी देवी को पहले ही कानून के अनुसार ग्राम पंचायत का निर्विरोध सरपंच घोषित कर दिया गया था।यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ता का शामलात भूमि पर अनधिकृत कब्जा है और उसे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है और उसके नामांकन पत्र और अन्य उम्मीदवारों के

नामांकन पत्र ग्राम सचिव, राजस्व पुजारी और तहसीलदार गुल्हा की रिपोर्ट पर सही ढंग से खारिज कर दिए गए थे।याचिका में किए गए अन्य दावों को खारिज कर दिया गया।

(5) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया।

(6) याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट उपाय नहीं है। 1994 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) या हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के तहत, जिसके तहत एक उम्मीदवार जिसका नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है या निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वह अपने नामांकन पत्र की अस्वीकृति को किसी भी उच्च प्राधिकरण या निर्दिष्ट चुनाव मंच के समक्ष अपील या संशोधन के माध्यम से चुनौती दे सकता है और यहां तक कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने और चुनाव का परिणाम घोषित होने पर भी, प्रभावित उम्मीदवार जैसे कि वर्तमान याचिकाकर्ता या मतदाता भी चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। अधिनियम की खंड 176 (4) के तहत केवल अधिनियम की खंड 176 की उप-खंड (5) के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण के आधार पर विचार किया गया है।

आई।

(7) स्थेज के लिए -0अधिनियम की धारा सी176, नियमों के ई-नियम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एफ), (के) और (ओ) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

"176 (1) *न्यायाधीश और प्रक्रिया द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण।—यदि* किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या

जिला परिषद के सदस्य या उप-सरपंच, सरपंच या ग्राम पंचायत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पंचायत समिति या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के किसी भी चुनाव की वैधता पर चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी व्यक्ति द्वारा सवाल उठाया जाता है, जिससे ऐसा प्रश्न संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर किसी भी समय उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र वाले सिविल कोर्ट में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए चुनाव हुआ है या होना चाहिए था।

(2) एक याचिकाकर्ता निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अपनी चुनाव याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं होगाः–

(a) जहां याचिकाकर्ता सभी या किसी भी लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव की वैधता को चुनौती देने के अलावा इस बात का दावा करता है कि वह या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हो गए हैं, याचिकाकर्ता के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और जहां ऐसी कोई और राहत का दावा नहीं किया गया है, सभी लौटने वाले उम्मीदवार;

(b) कोई अन्य उम्मीदवार जिसके खिलाफ कोई आरोप है!चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण किए जाते हैं,

(3) उप-धारा (1) के तहत प्राप्त सभी चुनाव याचिकाओं, जिनमें एक ही निर्वाचन प्रभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों

के चुनाव की वैधता प्रश्नगत है, की सुनवाई उसी दीवानी न्यायालय द्वारा की जाएगी।

(4) (क) यदि ऐसी जांच के आयोजन पर नागरिक न्यायालय को पता चलता है कि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के उद्देश्य से ऐसा किया है।

उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट प्रथा वह चुनाव को अलग कर देगा और उम्मीदवार को चुनाव के उद्देश्य के लिए अयोग्य घोषित करेगा और नया चयन किया जा सकता है।

(ख) यदि किसी मामले में, जिसमें खंड (क) लागू नहीं होता है, दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच चुनाव की वैधता पर विवाद है, तो न्यायालय प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज मतों की जांच और गणना के बाद, उस उम्मीदवार को, जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैध मत पाए गए हैं, विधिवत निर्वाचित घोषित करेगाः

बशर्ते कि ऐसी गणना के बाद, यदि कोई हो, किसी भी उम्मीदवार के बीच मतों की समानता पाई जाती है और एक मत जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, तो ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या में एक अतिरिक्त मत जोड़ा जाएगा, जो न्यायाधीश की उपस्थिति में उस तरीके से चुना जाता है जो वह निर्धारित करे।

(5) किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करने वाला माना जाएगा।

(a) जो किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने या देने से रोकने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कोई

धन या मूल्यवान प्रतिफल प्रदान करता है या देता है, या व्यक्तिगत लाभ का कोई वादा करता है, या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा रखता है; या

(b) जो किसी व्यक्ति को खड़े होने या न होने या पीछे हटने या चुनाव में उम्मीदवार होने से पीछे हटने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल प्रदान करता है या देता है या कोई वादा या व्यक्तिगत लाभ रखता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने का कोई खतरा रखता है; या

(c) जो किसी भी मतदाता (स्वयं व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्यों या उसके एजेंट के अलावा) को किसी मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए भुगतान पर या अन्यथा कोई वाहन या पोत किराए पर लेता है या खरीदता है।

स्पष्टीकरण 1.–एक भ्रष्ट प्रथा को एक उम्मीदवार द्वारा किया गया माना जाएगा यदि यह किसी व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी और सहमति से किया गया है।

जो चुनाव के संदर्भ में ऐसे उम्मीदवार के विशेष अधिकार के लिए सामान्य के अधीन कार्य कर रहा है।

स्पष्टीकरण 2.–'वाहन' पद का अर्थ है सड़क परिवहन के उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला या उपयोग करने में सक्षम कोई भी वाहन, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से संचालित हो या अन्यथा और चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता हो या अन्यथा।”

नियम 30

"नामांकन की जांचः

(1) नियम 24 के तहत नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर, उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत अधिकृत एक अन्य व्यक्ति, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति नियम 24 के तहत इस संबंध में नियुक्त समय और स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता है और निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उन्हें नियम 27 द्वारा आवश्यक सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और उन सभी आपत्तियों का निर्णय करेगा जो किसी भी नामांकन पर की जा सकती हैं और या तो ऐसी आपत्तियों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि वह आवश्यक समझता है, तो निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकता है, अर्थातः–

(a) कि उम्मीदवार अधिनियम द्वारा या उसके तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य है;

(b) कि नियम 26,27 या 28 के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता हुई है; और

(c) कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है।

(3) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) किसी भी नामांकन पत्र को केवल

लिपिक या मुद्रण त्रुटि या किसी भी दोष के आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा जो एक महत्वपूर्ण चरित्र का नहीं है।

(5) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक नामांकन पत्र पर स्वीकार करने या स्वीकार करने के संबंध में अपने निर्णय का समर्थन करेगा।

उसी को अस्वीकार करना और यदि नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इस तरह की अस्वीकृति के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा।निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए संबंधित गाँव की मतदाता सूची में की गई प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति का प्रस्तुत होना उस प्रविष्टि में नामित किसी भी मतदाता के चुनाव में खड़े होने के अधिकार का निर्णायक प्रमाण होगा जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि उम्मीदवार अयोग्य है।

(7) सभी नामांकन पत्रों की जांच के तुरंत बाद और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय दर्ज किए जाने के तुरंत बाद, निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिनके नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं।जांच पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने नोटिस बोर्ड पर सूची चिपकाएगा और उस तारीख और समय को दर्ज करेगा जिस दिन सूची इस तरह चिपकाई गई थी।"

243 (च) *सदस्यता के लिए* अयोग्यताः

(1) एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगाः–

(a) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए तत्काल लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस प्रकार अयोग्य घोषित किया जाता हैः

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसकी आयु 21 वर्ष हो गई है।

(b) यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को ऐसे प्राधिकारी के निर्णय के लिए और उस तरीके से भेजा जाएगा जो किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे।

243 *(क) पंचायतों के चुनावः*

(1) सभी के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण।

पंचायतों के चुनाव एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगे जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे जो राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित करे।

बशर्ते कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों के अलावा उसके पद

से नहीं हटाया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी।

(3) किसी राज्य का राज्यपाल, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार अनुरोध किया जाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(4) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

243 (ओ):

चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोकः

इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूदः–

(a) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या अनुच्छेद 243के के तहत बनाए गए या किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(b) किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाती है।”

(8) अनुच्छेद 243-के (1) के अधीन, 51 पंचायतों के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग के पास निहित है और अनुच्छेद 243-के के उपखंड (4) के अधीन -

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायत के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है।कानून के उपरोक्त अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन में हरियाणा राज्य ने अधिनियम पारित किया है और इसके तहत नियम बनाए हैं।अधिनियम की खंड 176 (1) और (4) के साथ-साथ नियमों के नियम 30 के सावधानीपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि न तो कोई विशिष्ट प्रावधान है और न ही कोई विशिष्ट कानूनी बाधा है कि नामांकन पत्रों की अवैध स्वीकृति या अस्वीकृति या मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में आपत्तियां ऐसी आपत्तियों के आधार पर चुनाव को रद्द करने के लिए चुनाव याचिका में एक आधार का गठन करेंगी।हालांकि, अधिनियम की खंड 176 (1) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक देखने पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव की अधिकार क्षेत्र को या तो चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या यहां तक कि एक मतदाता द्वारा ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए चुनाव याचिका दायर करके दीवानी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

(9)हमारा विचार है कि चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार या अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन के साथ शुरू होती है और यह चुनाव परिणाम की घोषणा की परिणति के साथ पूरी होती है।अवैध अस्वीकृति या नामांकन पत्रों की स्वीकृति या मतदाता सूची

तैयार करने में अनियमितताओं के संबंध में आपत्तियां भी चुनाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक या कड़ी बनती हैं।इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण चरणों को निश्चित रूप से अलग नहीं किया जा सकता है या पूरी चुनावी प्रक्रिया में महत्वहीन या दूरदराज के चरणों के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(10)हम एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नामक्कल, सलेम जिले में *शीर्ष न्यायालय के* अधिकार *से अपने विचार में समर्थन पाते हैं।और अन्य (1), जिसमें* यह देखा गया था कि नामांकन पत्रों की अस्वीकृति या स्वीकृति 'चुनाव' शब्द में शामिल है।हमें हरि विश्नी 4 कामत बनाम अहमद इशाग्वे और अन्य (2) मामले में शीर्ष न्यायालय के अधिकार से *और अधिक समर्थन मिलता* है, *जिसमें एन. पी. पोन्नुस्वामी* के मामले (उपरोक्त) में अधिकार के आधार पर यह *अभिनिर्धारित किया गया था* कि अनुच्छेद 329 (बी) में 'चुनाव' शब्द का उपयोग एक व्यापक अर्थ में किया गया था, जिसमें अधिसूचना के मुद्दे से शुरू होने वाली चुनाव की पूरी प्रक्रिया और उम्मीदवार के चुनाव की घोषणा के साथ समाप्ति और अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन शामिल था। उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले किसी भी अधिनियम की वैधता को चुनौती देना वर्जित होगा।ये चुनाव पर सवाल उठाने वाली मूल कार्यवाही के उदाहरण हैं, और अनुच्छेद 329 (बी) में अधिनियमित निषेध के भीतर होंगे।

(11) यह सच है कि अधिनियम की खंड 176 की उप-खंड (4) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव!यह उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण करने के लिए अलग रखा जाएगा।तथापि, हमारा दृढ़ मत है कि उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण के आधार पर

किसी उम्मीदवार के चुनाव को अलग करने के लिए उप-धारा (4) (ए) के प्रावधान की व्याख्या किसी भी तरह से इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि चुनाव को अलग करने का आधार केवल भ्रष्ट आचरण के आधार पर होगा और न कि किसी उम्मीदवार की अवैध अस्वीकृति या स्वीकृति या नामांकन पत्रों या मतदाता सूची तैयार करने में की गई अवैधता या अनियमितताओं और चुनाव प्रक्रिया के संचालन से जुड़े ऐसे सभी मामलों के आधार पर जो चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ इसकी शुरुआत से ही अंतिम परिणति तक जुड़े हुए हैं।केवल यह तथ्य कि न तो अधिनियम के तहत और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अवैध अस्वीकृति या नामांकन पत्रों की अवैध स्वीकृति या निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति से पहले मतदाता सूची तैयार करने में की गई अवैधता या अनियमितताओं के खिलाफ कोई उपाय प्रदान किया गया है, हमारे विचार में चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद के चरण में चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए प्रभावित पक्ष को चुनाव याचिका में ऐसी सभी आपत्तियों को उठाने से किसी भी तरह से बाधित नहीं करेगा।बल्कि ऐसी व्याख्या जो हमने ली है, वह पूरी चुनाव प्रक्रिया को *तेजी से और* बिना किसी अनुचित देरी के पूरा करने के प्रथम उद्देश्य के अनुरूप है और निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया को अनुसूची के अनुसार आयोजित करने में सहायक होगी।चुनाव प्रक्रिया में की गई गलतियों, अनियमितताओं या अवैधताओं को बाद के चरण में निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है जब प्रभावित पक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करता है।

(12) पूर्वगामी कारणों से, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता, यदि इस तरह की सलाह दी जाती है, तो कानून और प्रक्रिया के अनुसार अपनी शिकायतों के संबंध में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।इन टिप्पणियों

के साथ इन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा हो जाता है।आदेश की प्रति दस्ती दी जाए।

(1) ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64.
(2) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा